रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 323] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 1983/भाद्र 10, 1905

No. 323] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 1983/BHADRA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1983

सं. 257/83-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 678(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 84 के अंतर्गत आने वाली मशीनों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए,—

(क) उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 20 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है; और

(ख) द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात :—

(1) छूट केवल नई मशीनों को लागू होगी ;

(2) (क) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट आयातित करघों की दशा में, ऐसे करघों द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत माल का भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा ;

(ख) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट आयातित रोटर स्पिनिंग मशीनों की दशा में, ऐसी रोटर स्पिनिंग मशीनों द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत माल का भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा या इस प्रकार उत्पादित माल का भारत से बाहर निर्यात फैब्रिकों के उत्पादन में उपयोग किया जाएगा,

(3) उपरोक्त शर्त (2) में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता को, यथास्थिति, उक्त करघों पर या उक्त रोटर स्पिनिंग मशीनों पर उत्पादन के प्रारम्भ से 8 वर्ष की अवधि तक पूरा किया जाएगा,

(4) आयातकर्ता, उक्त मशीनों के आयात के समय, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर को, ऐसे अधिकारी द्वारा जो संयुक्त मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक की पंक्ति से नीचे का न हो, जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करता है कि—

668 GI/83

(क) आयातकर्ता ने मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट आवश्यक बंधपत्र निष्पादित कर दिया है; और

(ख) आयातकर्ता ने ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करने का वचनबंध किया है जो उक्त निर्यात बाध्यता की पूर्ति को मानीटर करने और उसके प्रवर्तन के लिए मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किए जाएं।

सारणी

क्रम सं.	मशीनों का वर्णन
1.	एयरजेट करघे
2	वाटरजेट करघे
3.	अन्य शटल रहित करघे जिनमें कम से कम 260 स.मी. रीड स्पेस है।
4.	रोटर स्पिनिंग मशीन।

2. यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. 346/31/82-टी.आर.यू]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st September, 1983

No. 257|83-Customs

G.S.R. 678(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts machines specified in the Table hereto annexed and falling within Chapter 84 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of 20 per cent. *ad valorem ;* and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act,

subject to the following conditions, namely :—

(i) the exemption shall apply only to new machines ;

(ii) (a) in the case of imported looms specified in the said Table, 75 per cent of the goods produced by such looms shall be exported out of India,

(b) in the case of imported Rotor Spinning Machines specified in the said Table, 75 per cent of the goods produced by such Rotor Spinning Machines shall be either exported out of India or the goods so produced shall be utilised in the production of fabrics exported out of India ;

(iii) the export obligation specified in condition (ii) above shall be fulfilled for a period of 8 years from the commencement of production on the said looms or on the said Rotor Spinning Machines, as the case may be ;

(iv) the importer, at the time of import of the said machines, produces to the Assistant Collector of Customs a certificate issued by an officer not lower in rank than a Joint Chief Controller of Imports and Exports to the effect that—

(a) the importer has executed the necessary bond specified in this regard by the Chief Controller of Imports and Exports ; and

(b) the importer has undertaken to comply with such instructions as are issued by the Chief Controller of Imports and Exports to monitor and enforce the fulfilment of the said export obligation.

TABLE

Sl. No.	Description of the machines
1.	Airjet looms.
2.	Waterjet looms.
3.	Other shuttleless looms with reed space not less than 260 cms.
4.	Rotor Spinning Machines.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of July, 1985.

[F. No. 346|31|82-TRU]

सं. 258/83-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 679(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1983 (1983 का 11) की धारा 45 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 126/83-सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं 228 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"229/सं. 257/83-सीमाशुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 1983"

[सं. 346/31/82-टी.आर.यू.]
के. एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

No. 258|83-CUSTOMS

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (1 of 1983), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 126/83-Customs, dated the 13th May, 1983, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 228 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

"229 No. 257|83-Customs, dated the 1st September, 1983".

[F. No. 346|31|82-TRU]
K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983